

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1 (पैरा 1.2 देखें)

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के प्रासंगिक अंश

वित्तीय वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट

2018-19 और 2019-20 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

21. सरकार के मध्यम अवधि के राजकोषीय अनुमान एफ आर बी एम सीमाओं और बजट अनुमानों को आधार के रूप में उपयोग करते हैं और उन जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं जो राजकोषीय समुच्चय को प्रभावित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार 2017-18 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य था। अब इसे 2018-19 में हासिल करने की उम्मीद है। मौजूदा एफ आर बी एम प्रावधानों के तहत 2018-19 के बाद जी डी पी के प्रतिशत के रूप में एफ डी में और कमी करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए 2018-19 और 2019-20 के लिए एफ डी को जी डी पी का तीन प्रतिशत माना गया है। इसके परिणामस्वरूप उन वर्षों में नाममात्र जी डी पी वृद्धि के आधार पर सरकार के लिए अतिरिक्त राजकोषीय संभावना बनी रहेगी।

22. सामान्य परिस्थितियों में राजकोषीय विवेक का आकलन करने के लिए राजस्व घाटे को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। हालांकि, भारतीय संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में, केंद्र राज्यों को

स्थानांतरित करता है, यहां तक कि पूंजीगत व्यय के लिए, राजस्व अनुदान के रूप में प्रवाह, और व्यय के महत्वपूर्ण राजस्व घटक पर आवंटन बढ़ाने की विशिष्ट आवश्यकता, विशेष रूप से रखरखाव कार्यों पर, राजस्व घाटे को कम करने पर अत्यधिक ध्यान देना प्रतिकूल होगा और यहां तक कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत संपत्ति पर रिटर्न को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि, गैर-उत्पादक राजस्व व्यय को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में केंद्रित रहेंगे। इन्हें ध्यान में रखते हुए, और एफ आर बी एम अधिनियम के तहत आवश्यकताएं, जो राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत पर समाहित करने के लिए अनिवार्य हैं, राजस्व घाटा 2018-19 और 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.6 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

23. चौदहवें वित्त आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को दूर करने की सिफारिश की है, इसे राजकोषीय बेंचमार्किंग की मानक प्रणालियों को कमजोर करने के रूप में माना जाता है। हालांकि, इस अतिरिक्त राजकोषीय बेंचमार्क को जारी रखने के कुछ ठोस गुण हैं। एक ओर यह राजस्व व्यय के पूंजीगत घटक को स्पष्ट

रूप से सामने लाता है जिससे अर्थव्यवस्था में वास्तविक पूंजी निवेश व्यय को केंद्रीय निधि से बाहर किया जाता है, जबकि साथ ही यह मूर्त भौतिक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए, राजस्व व्यय के इस घटक को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाए रखता है।

24. जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है, एक उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी ताकि पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान पर अत्यधिक ध्यान देने से विकास संबंधी जरूरतों पर खर्च के अन्य आवश्यक राजस्व घटकों जैसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर या अस्पतालों में रखरखाव और आपूर्ति या सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे की परिसंपत्ति के रखरखाव में समझौता न हो। विशेष रूप से सेवाओं के सार्वजनिक वितरण के प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक रखरखाव और आपूर्ति संबंधी व्यय के लिए पर्याप्त आवंटन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए इन संदर्भों में प्रभावी राजस्व घाटा 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह प्रक्षेपण एफ आर बी एम अधिनियम के तहत ई आर डी के लक्षित उन्मूलन से एक विचलन है और एफ आर बी एम (समीक्षा) समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस पहलू पर बाद में वर्ष में निर्णय लेते समय एक कठोर नज़र डालने की आवश्यकता होगी।

25. भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्यम अवधि में अधिक स्थिर उच्च विकास पथ पर लौटने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से जी एस टी से संबंधित प्रमुख

कर सुधार नीति उपायों और प्रत्यक्ष करों में आधार का विस्तार, जो कि प्रक्रियाधीन है, हाल ही में विमुद्रीकरण उपायों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के प्रत्याशित अधिक औपचारिकता के लाभकारी प्रभाव के साथ, कर संग्रह में वृद्धि में सुधार की संभावना है। इसलिए कर से जी डी पी अनुपात में मध्यम अवधि में सुधार दिखाने का अनुमान है और 2018-19 और 2019-20 में जी डी पी का क्रमशः 11.6 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

26. कर राजस्व के अलावा गैर-कर राजस्व सरकार के लिए राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। विशेष रूप से स्पेक्ट्रम नीलामियों के कारण गैर-कर राजस्व में सामयिक स्पाइक्स के अलावा, गैर-कर राजस्व के अधिकांश अन्य स्रोत काफी हद तक स्थिर हैं। मध्यम अवधि में गैर-कर राजस्व का अनुमान क्रमशः 2018-19 और 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत है। सरकार ने राजस्व के गैर-कर स्रोतों की समीक्षा और वृद्धि के लिए सुझाए गए कदमों के संबंध में व्यय प्रबंधन आयोग (ई एम सी) की कई सिफारिशों को भी लागू किया है। इसमें लाभांश भुगतान पर संशोधित दिशानिर्देश, उपयोगकर्ता शुल्क/शुल्क आदि की अनिवार्य समीक्षा शामिल है, जो मध्यम अवधि में उच्च रिटर्न दे सकता है।

27. 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल सरकारी व्यय 12.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह 2018-19 और 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 12.2

प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन के 2019-20 तक 85:15 तक सुधरने की उम्मीद है। हालांकि, मध्यम अवधि में भुगतान या व्यय के परिणाम कई कारणों से अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं, जिनमें वित्तीय विकास और समग्र मैक्रो-आर्थिक स्थितियां शामिल हैं।

28. मध्य अवधि में व्यापक राजकोषीय अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र की

कुल अनुमानित देयता 2017-18 में 44.7 प्रतिशत से घटकर 2018-19 और 2019 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 42.8 प्रतिशत और 40.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अभी भी वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत पर केंद्र की लक्षित कुल देयता से ऊपर होगा; समेकन की गति पटरी पर है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का केंद्रीय बजट

2019-20 और 2020-21 के लिए राजकोषीय आउटलुक

29. वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में धारणाओं को उपरोक्त अनुभागों में स्पष्ट रूप से रखा गया है। इसलिए, 2019-20 और 2020-21 में राजकोषीय लक्ष्यों की उपलब्धि, इन परस्पर जुड़े लक्ष्यों, विशेष रूप से देश में नाममात्र जी डी पी से संबंधित लक्ष्यों की उपलब्धि पर निर्भर है।

30. नए प्रस्तावित ढांचे में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राजस्व घाटे के लक्ष्य पहले की तरह प्रमुखता का आनंद नहीं लेंगे। यह पूंजीगत व्यय के लिए वरीयता द्वारा बनाई गई विसंगति को दूर करने के लिए है जो उस ढांचे में निहित था जहां आर डी गिरावट की प्रवृत्ति का पालन कर रहा था। हालांकि, संपत्ति के निर्माण के अलावा, स्थापित की गई संपत्तियों के सही रखरखाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत जैसे संघीय देश में, सभी पूंजी-संबंधित हस्तांतरण जो सरकार राज्य सरकार की एजेंसियों को देती है जो कुछ योजनाओं को लागू करते हैं, उन्हें राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, मानव पूंजी के हिस्से के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मदों पर व्यय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक पूंजी पर। उदाहरण के लिए, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पर्याप्त वेतन पाने वाले शिक्षकों और डॉक्टरों की उपस्थिति उतनी

ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मजबूत अस्पताल और स्कूल की इमारतें

31. जैसा कि उपरोक्त पैराआकृति में विश्लेषण किया गया है, यह अनुमान है कि सरकार हाल के कराधान सुधार प्रस्ताव के लाभांश को प्राप्त करने के लिए निश्चित है। जबकि प्रत्यक्ष कर उछाल दर यह दर्शाती है कि विमुद्रीकरण के संबंध में लाभांश शायद पहले से ही शुरू हो रहे हैं, सरकार को विश्वास है कि जी एस टी के कार्यान्वयन के लिए कर आधार के विस्तार से केंद्र सरकार की वित्तीय संभावनाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

32. राज्य सरकारों के सामने एक बड़ी अनिश्चितता है। उदय बांडों का प्रतिदान अत्यधिक है और ये राज्य की वित्तीय गणनाओं पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकते हैं। संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम के अंतर्गत, जहां सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत पर सामान्य सरकारी ऋण की सीमा है, यह राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर इनके प्रभाव के बारे में किसी का भी अनुमान हो सकता है।

33. इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 2019-20 और 2020-21 में यह अनुमान है कि केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में 2018-19 और 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में क्रमशः 14.3 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इन वर्षों के लिए जीटीआर संबंधित वर्षों में ₹ 25,95,775 करोड़ और ₹ 29,77,350 करोड़ के पूर्ण लक्ष्य तक पहुंच गया। इन आंकड़ों में जीएसटी मुआवजा उपकर के

कारण इन प्रत्येक वर्ष में ₹ 90,000 करोड़ की राशि भी शामिल है। इस वृद्धि का मतलब है कि कर जी डी पी अनुपात 2019-20 में 12.4 फीसदी और 2020-21 में 12.7 फीसदी तक पहुंच जाएगा। इस वृद्धि को कर आधार को व्यापक करके काफी सहायता मिलेगी और इसलिए क्रमशः विमुद्रीकरण और जीएसटी से जुड़े कर में वृद्धि होगी।

34. कर राजस्व पर उपरोक्त आंकड़ों के अलावा, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का अन्य महत्वपूर्ण घटक सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियां हैं। इनमें क्रमशः 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन दरों पर बढ़ते हुए, एन टी आर दो प्रासंगिक वर्षों में क्रमशः ₹2,65,867 करोड़ और ₹2,95,000 करोड़

तक पहुंचने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में प्रत्येक के 1.3 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है क्योंकि निजी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक साथ कदम उठाया जा रहा है।

35. व्यय के मामले में, कुल सरकारी व्यय, जिसे 2018-19 (बी ई) में सकल घरेलू उत्पाद के 13.0 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, 2019-20 और 2020-21 में 0.3 प्रतिशत अंक घटकर 12.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। व्यय प्रोफ़ाइल में राजस्व-पूंजी को जोड़कर बी ई 2018-19 में 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में लगभग 13 प्रतिशत होने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट

बी ई 2019-20 के लिए वित्तीय दृष्टिकोण

9. 2019-20 के लिए एफडी का लक्ष्य जीडीपी का 3.3 प्रतिशत आंका गया है।

10. बजट अनुमान 2019-20 में सकल कर राजस्व ₹24,61,195 करोड़ है जो संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में ₹2,13,020 करोड़ (9.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। आर ई 2018-19 में ₹12,00,000 करोड़ की तुलना में बी ई 2019-20 में प्रत्यक्ष कर ₹13,35,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो आर ई 2018-19 की तुलना में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उम्मीद है कि 2019-20 के अंत में प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद

का 6.3 प्रतिशत होगा। बजट अनुमान 2019-20 में अप्रत्यक्ष करों का बजट ₹11,22,015 करोड़ रुपये है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत है। 2019-20 में गैर-कर राजस्व संग्रह आर ई 2018-19 में ₹2,45,276 करोड़ की तुलना में ₹3,13,179 करोड़ का बजट है।

11. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (एन डी सी आर) बजट अनुमान 2019-20 में ₹1,19,828 करोड़ होने की उम्मीद है, जो संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में ₹26,673 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। एन डी सी आर में वृद्धि ज्यादातर विनिवेश के कारण हुई है जिसका बजट ₹1,05,000 करोड़ (आर ई 2018-19 - ₹80,000 करोड़) है। 2018-19 के संशोधित अनुमान में

₹6,34,397 करोड़ की तुलना में 2019-20 में कुल सकल उधारी ₹7,03,760 करोड़ अनुमानित है। यह आर ई की तुलना में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

12. 2019-20 में कुल व्यय ₹27,86,349 करोड़ आंका गया है जो कि संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में ₹3,29,114 करोड़ (13.4 प्रतिशत) की वृद्धि है। राजस्व व्यय, आर ई 2018-19 में ₹21,40,612 करोड़ की तुलना में, बी ई 2019-20 में ₹24,47,780 करोड़ अनुमानित किया गया था, जो आर ई की तुलना में बी ई 2019-20 में ₹3,07,168 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को समर्थन के कारण है। पूंजीगत व्यय, बीई 2019-20 में बढ़कर ₹3,38,569 करोड़ होने की उम्मीद है, जो आर ई 2018-19 में ₹3,16,624 करोड़ था।

13. जी एस टी सुधारों और राजस्व के पूर्ण लाभ की प्राप्ति में कुछ और समय लगने की उम्मीद है और इसलिए स्थिरता 2019-20 में भी जारी रहने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट

आर ई 2019-20 के लिए राजकोषीय आउटलुक

6. राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.30 प्रतिशत के बजट स्तर की तुलना में आर ई 2019-20 में जी डी पी का 3.8 प्रतिशत है। मुख्य रूप से अनुमानित जी एस टी संग्रह से कम और निगम कर दरों में कमी के कारण सकल कर राजस्व अनुमानों में कमी आई है। अप्रत्यक्ष करों से प्रत्याशित प्राप्तियों को संशोधित कर 2018-19 अनंतिम वास्तविक की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाने के लिए संशोधित किया गया है, जबकि प्रत्यक्ष कर के लिए संशोधित अनुमान 2019-20 पिछले वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कॉर्पोरेट टैक्स जहां बी ई स्तर से ₹1,55,500 करोड़ की कमी है। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में बीई स्तर से ₹32,334 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है।

7. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से कम विनिवेश प्राप्तियों के कारण, बजट अनुमान 2019-20 की तुलना में ₹38,224 करोड़ कम होने का अनुमान है। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान ₹81,604 करोड़ रखा गया है। राजकोषीय घाटे का निरपेक्ष मूल्य संशोधित अनुमान में ₹7,66,848 करोड़ कर दिया गया है जो कि 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में ₹63,087 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

8. संशोधित अनुमान 2019-20 में, कुल व्यय ₹26,98,552 करोड़ अनुमानित किया गया है जो 2019-20 के बजट अनुमान से

₹87,797 करोड़ की कमी दर्शाता है। आर ई 2019-20 में राजस्व व्यय ₹23,49,645 करोड़ है, जबकि पूंजीगत व्यय, अनुमानित रूप से संशोधित अनुमान में ₹3,48,907 करोड़, बजट अनुमान 2019-20 की तुलना में ₹10,338 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

अनुलग्नक 1.2

(पैरा 1.2 देखें)

वित्तीय वर्ष के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (प्रकटीकरण फॉर्म एफ-2)

2020-21

बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण

(आर्थिक निष्पादन का सार)

क्र.सं.	मद	निरूपित मूल्य		प्रतिशत परिवर्तन	
		अप्रैल-दिसंबर		अप्रैल-दिसंबर	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
संपदा क्षेत्र					
1	बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)Ⓔ				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	20340	19482	7.2	-4.2
	(ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यों पर	14566	13440	4.2	-7.7
2	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100)ⒺⒻ	128.1	108.3	0.3	-15.5
3	घोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)^	121.7	121.6	1.5	-0.1
4	उपभोगिता मूल्य सूचकांक: संयुक्त (2012=100)^	145.3	154.9	4.1	6.6
5	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)‡	16061.6	18059.1	10.4	12.4
6	वर्तमान मूल्यों पर आयात*				
	(क) ₹ करोड़	2562540	1922790	-6.4	-25.0
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	364184	258272	-7.2	-29.1
7	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात*				
	(क) ₹ करोड़	1677371	1495706	-1.5	-10.8
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	238274	200802	-2.4	-15.7
8	व्यापार घाटा (बिलियन अमरीकी डालर)*	-125910	-57470	-15.1	-54.4
9	विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत तक)				
	(क) ₹ करोड़	3264729	4272332	18.62	30.86
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	457468	580841	16.28	26.97
10	घालू खाता शेष (बिलियन अमरीकी डालर)‡	-22.5	34.8		
सरकार के वित्त साधन (₹ करोड़)‡‡					
		अप्रैल से नवम्बर			
1.	राजस्व प्राप्तियां	983214	812710	13.0	-17.3
	सकल कर राजस्व	1174143	1026055	0.8	-12.6
	कर (केन्द्र को निवल)	750614	688430	2.6	-8.3
	कर-मिन्न राजस्व	232600	124280	67.8	-46.6
2.	पूंजी प्राप्तियां, जिसमें	836843	1093648	12.6	30.7
	श्रेणियों की वसूली	10910	11962	4.2	9.6
	अन्य प्राप्तियां	18099	6179	14.5	-65.9
	उधार और अन्य देनदारियां	807834	1075507	12.7	33.1
3.	कुल प्राप्तियां (1+2)	1820057	1906358	12.8	4.7
4.	कुल व्यय	1820057	1906358	12.8	4.7
	(क) राजस्व व्यय	1606215	1665200	13.0	3.7
	(ख) पूंजी व्यय	213842	241158	11.7	12.8
5.	राजस्व घाटा	623001	852490	13.0	36.8
7.	राजकोषीय घाटा	807834	1075507	12.7	33.1
8.	प्राथमिक घाटा	466022	692082	26.5	48.5
<p>Ⓔ सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं और वर्ष 2019-20 के आंकड़े अंतिम अनुमान हैं और वर्ष 2020-21 के आंकड़े प्रथम अंतिम अनुमान हैं।</p> <p>ⒺⒻ अप्रैल से नवम्बर तक</p> <p>^ 2020-21 के लिए अंतिम और अप्रैल-मई 2020 के महीनों के लिए सीपीआई-सी आलेखित हैं, जो कोविड-19 महामारी के कारण सीमित प्रेक्षणों पर आधारित हैं।</p> <p>* सीमाशुल्क आधार पर</p> <p>‡ 18 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार</p> <p>‡‡ अप्रैल - दिसंबर</p> <p>‡‡‡ महालेखा निर्वचक और वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल से नवंबर 2020 के लिए जारी किए गए मासिक लेखाओं के आंकड़ों पर आधारित।</p>					

अनुलग्नक 3.1

(पैरा 3.4.4 देखें)

(यूजीएफए/एएफएस से गैर-ऋण प्राप्तियों की गणना)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां (यू जी एफ ए/ए एफ एस-3 से)			
	ऋण और अग्रिम की वसूली	विविध पूंजीगत प्राप्ति	राजस्व प्राप्ति	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)
2014-15	26,547	37,740	13,28,909	13,93,196
2015-16	41,870	42,132	14,36,160	15,20,162
2016-17	40,971	47,743	16,15,988	17,04,702
2017-18	70,639	1,00,048	16,91,143	18,61,830
2018-19	30,257	94,979	18,06,463	19,31,699
2019-20	18,647	50,349	19,48,084	20,17,080

अनुलग्नक 3.2

(पैरा 3.4.4 देखें)

(यू जी एफ ए/ए एफ एस से कुल व्यय की गणना)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (यू जी एफ ए/ए एफ एस-4 से)			
	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) +(2) +(3)
2014-15	16,95,137	1,72,086	41,921	19,09,144
2015-16	17,79,529	2,78,866	47,272	21,05,667
2016-17	19,33,018	2,49,472	60,011	22,42,501
2017-18	21,40,085	3,25,116	82,136	25,47,337
2018-19	22,61,571	3,99,523	54,667	27,15,761
2019-20	26,15,320	3,87,744	45,142	30,48,206

अनुलग्नक 3.3
(आकृति 3.6 और पैरा 3.4.4 देखें)
(गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय)

(₹ करोड़ में)

	कुल खर्च	गैर-ऋण प्राप्तियां	राजकोषीय घाटा (एफ डी)	प्राथमिक घाटा (पी डी)	सकल घरेलू उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पी डी	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में एफ डी	गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय
2015-16	21,05,667	15,20,162	5,85,497	1,28,227	137,71,874	0.93%	4.25%	72.19%
2016-17	22,42,501	17,04,702	5,37,799	33,287	153,91,669	0.22%	3.50%	76.02%
2017-18	25,47,337	18,61,830	6,85,506	1,41,800	170,90,042	0.83%	4.01%	73.09%
2018-19	27,15,761	19,31,699	7,84,062	1,88,510	188,99,668	1.00%	4.15%	71.13%
2019-20	30,48,206	20,17,080	10,31,126	3,75,755	200,74,856	1.87%	5.14%	66.17%

स्रोत: संबंधित वर्षों का यू जी एफ ए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जी डी पी के आंकड़े अपडेट किए गए हैं।

अनुलग्नक 3.4
(आकृति 3.8 और पैरा 3.5.1 देखें)
(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर राजस्व अनुमान)

(₹ करोड़ में)

घटक	एमटीएफपी 2017-18	एमटीएफपी 2018-19	बीई 2019-20	आरई 2019- 20	वास्तविक 2019-20
कर राजस्व	16,27,275	16,74,523	16,49,582	15,04,587	13,59,382
सकल घरेलू उत्पाद	2,11,33,448	2,09,31,533	2,10,07,439	2,04,42,233	2,00,74,856
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व	7.70%	8.00%	7.85%	7.36%	6.77%
एमटीएफपीएस 2017-18 में पहले अनुमानों में अंतर	लागू नहीं	47,248	22,307	-1,22,688	-2,67,893

अनुलग्नक 3.5
(चित्र 3.9 और पैरा 3.5.1 देखें)
(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गैर-कर राजस्व अनुमान)

(₹ करोड़ में)

घटक	एमटीएफपी 2017-18	एमटीएफपी 2018-19	बीई 2019-20	आरई 2019-20	वास्तविक 2019-20
गैर -कर राजस्व	2,74,735	2,72,110	3,13,179	3,45,514	3,27,157
सकल घरेलू उत्पाद	2,11,33,448	2,09,31,533	2,10,07,439	2,04,42,233	2,00,74,856
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में गैर-कर राजस्व	1.30%	1.30%	1.49%	1.69%	1.62%
एमटीएफपीएस 2017-18 में पहले अनुमानों में अंतर	लागू नहीं	-2,625	38,444	70,779	52,422

अनुलग्नक 3.6

(चित्र 3.10 और पैरा 3.5.2 देखें)

(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति अनुमान)

(₹ करोड़ में)

घटक	एमटीएफपी 2017-18	एमटीएफपी 2018-19	बीई 2019-20	आरई 2019-20	वास्तविक 2019-20
अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति	40,000	60,000	1,05,000	65,000	50,349
एमटीएफपीएस 2017-18 में पहले अनुमानों में अंतर	लागू नहीं	20,000	65,000	25,000	10,349

अनुलग्नक 3.7

(चित्र 3.10 और पैरा 3.5.2 देखें)

(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ऋण और अग्रिम अनुमानों की वसूली)

(₹ करोड़ में)

घटक	एमटीएफपी 2017-18	एमटीएफपी 2018-19	बीई 2019-20	आरई 2019-20	वास्तविक 2019-20
ऋण और अग्रिम की वसूली	10,000	10,000	14,828	16,605	18,647
एम टी एफ पी एस 2017-18 में पहले अनुमानों में अंतर	लागू नहीं	0	4,828	6,605	8,647

अनुलग्नक 5.1
(पैरा 5.3 देखें)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का प्रकटीकरण

2021-22 का व्यय प्रोफाइल

विवरण 27 अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (इबीआर) (सरकार द्वारा पूरी तरह सेवित बांड, एनएसएम ऋण और अन्य स्रोत) का विवरण

(₹ करोड़ में)

भाग-क- सरकार द्वारा जुटाए गए पूरी तरह सेवित बांड द्वारा ईबीआर								
मांग सं.	विभाग/मंत्रालय का नाम और योजना का नाम	2016-17 वास्तविक आँकड़े	2017-18 वास्तविक आँकड़े	2018-19 वास्तविक आँकड़े	2019-20 वास्तविक आँकड़े	2020-21 बी ई	2020-21 आर ई	2020-21 बी ई
24.	उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का नवीकरण (आरआईएमई)	-	-	-	-	3000.00	-	
44.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	-	-	-	-	3000.00	-	
59.	आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी	-	-	20000.00	-	10000.00	-	
61.	जल संसाधन, नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग क). पोलावरम सिंचाई परियोजना ख). प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य परियोजना)	-	-	1400.00	1850.00	-	2234.29	शून्य
		2187.00	3105.00	5493.40	1963.40	5000.00	4225.00	
62.	पेयजल और स्वच्छता विभाग क). स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	-	-	8698.20	3600.00	-	-	

	ख). जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	-	-	-	-	120000.00	-
70.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क). ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ-ग्रिड/वितरित और विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा ख). प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान (पी एम - कुसुम)	1640.00	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	1000.00	-
77.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग (आई डब्ल्यू ए आई) परियोजना	340.00	660.00	-	-	-	-
78.	विद्युत मंत्रालय क. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य ख. विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाएं	5000.00	4000.00	13827.00	3782.00	5500.00	5000.00
		-	-	5504.70	-	-	-
86.	ग्रामीण विकास विभाग प्रधान मंत्री आवास योजना (पी एम ए वार्ड)- ग्रामीण	-	7330.00	10678.80	10811.00	10000.00	20000.00
	कुल	9167.00	15095.00	65602	22006.30	49500.00	31459.29

व्यय प्रोफाइल 2021-22

विवरण 27

भाग-ख- एनएसएसएफ से ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई								
क्र.सं	मंत्रालय/विभाग का नाम/इकाई का नाम	2016-17 वास्तविक आँकड़े	2017-18 वास्तविक आँकड़े	2018-19 वास्तविक आँकड़े	2019-20 वास्तविक आँकड़े	2020-21 बी ई	2020-21 आर ई	2020-21 बी ई
1.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम	70000.00	65000.00	97000.00	11000.00	136600.00	84636.00	-
2.	आवास और शहरी मामलो के मंत्रालय भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	-	8000.00	-	15000.00	-	10000.00	-
3.	उर्वरक विभाग घातु और खनिज व्यापार निगम	-	-	-	1310.00	-	-	-
4.	अन्य सार्वजनिक एंजेंसियों को सहायता (किसी विशिष्ट योजना परियोजना के तहत अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यदि कोई हो)							30000.00
	कुल	70000.00	73000.00	97000.00	126310.00	136600.00	94636.00	30000.00
	कुल योग (क + ख)	79167.00	88095.00	162602.10	148316.13	186100.00	126095.29	30000.00

एफ सी आई के पास एन एस एस एफ के ऋण की बकाया राशि 31.03.2020 तक ₹ 2,54,600 करोड़ थी।

टिप्पणियाँ:-

- i. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) को हस्तांतरित एआई के ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 7000/- करोड़ का पूरी तरह सेवित बांड सरकार द्वारा जारी करके ईबीआर बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।
- ii. रेल मंत्रालय को अपने राष्ट्रीय परियोजनाओं की वित्तपोषित करने के लिए उधार द्वारा ₹ 10,200 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 5,200 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 5,000/- करोड़) तक की निधि की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। पुनर्भुगतान, सरकार के सामान्य राजस्व से किया जाएगा।
- iii. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में पूंजी प्रवाह:** 2017-18 में ₹ 80,000 करोड़, 2018-19 में ₹ 1,06,000 करोड़ और 2019-20 में ₹ 65,443 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको (पी एस बी) के पुनः पूंजीकरण के लिए निवेश गए थे। इस उद्देश्य के लिए, 2020-21 में ₹ 20,000 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था। अब तक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, सरकार द्वारा गैर-ब्याज वाली विशेष प्रतिभूतियों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई पूंजी के रूप में ₹ 5,500 करोड़ का निवेश किया गया है। भारत सरकार ने 3 अन्य बैंको जैसे आईडीबीआई (₹ 4,557 करोड़), एक्जिम बैंक (₹ 5,050 करोड़) और आईआईएफसीएल (₹ 5,297.60 करोड़) में बॉन्ड जारी करके भी निवेश किया है।
- iv. वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता का विवरण प्राप्ति बजट 2021-22 के भाग-ख में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया वार्षिक देनदारी की राशि ₹ 41,822.04 करोड़ थी।

अनुलग्नक 6.1
(चित्र 6.1 और पैरा 6.2 देखें)
(गारंटियों में अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	3,05,519.10	3,52,519.19	3,78,704.16	4,31,931.53	4,58,542.92	5,10,479.36
(2)	साल की शुरुआत में बकाया	2,53,244.20	3,00,577.06	3,43,758.86	3,66,188.70	3,80,815.09	4,49,573.73
(3)	वर्ष के दौरान वृद्धि	52,274.90	51,942.13	34,945.30	65,742.83	77,727.83	60,905.63
(4)	हटाना (उपयोग)के अलावा)	10,818.77	8,757.03	12,403.46	51,758.73	10,916.56	43,597.96
(5)	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	0	0	112	0	0	0
(6) (3 - 4 - 5)	कुल गारंटी	41,456.13	43,185.10	22,429.84	13,984.10	66,811.27	17,307.67
(7)	साल के अंत में बकाया	2,94,700.33	3,43,762.16	3,66,188.70	3,80,172.80	4,47,626.36	4,66,881.40
(8)	सकल घरेलू उत्पाद	1,24,45,128	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,90,042	18,88,99,668	2,00,74,856
(9)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि	2.45%	2.56%	2.46%	2.53%	2.43%	2.54%
(10)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त गारंटियां	0.42%	0.38%	0.23%	0.38%	0.41%	0.30%
(11)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष के अंत में बकाया	2.37%	2.50%	2.38%	2.22%	2.37%	2.32%

स्रोत: यू जी एफ ए से गारंटी के आंकड़े, जी डी पी के आंकड़े नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अपडेट किए गए हैं।